पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
1864
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 10994
Date / दिनांक: 02-09-2023

आम सूचना

विषय :- पटना नगर निगम द्वारा तैयार किया गया "पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019" के प्रारूप को एक माह तक पटना नगर निगम के सूचना पटल और वेबसाइट-www.pmcbihar.gov.in पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु रखने के संबंध में।

ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 को अधिदेशित किया गया, जिसके नियम 15 के अंतर्गत स्थानीय निकायों को उक्त नियमावली को निगमित करते हुए उपविधि तैयार की जानी है । नियमावली के क्रियान्वयन में संगतता एवं मानकीकरण लाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने ''मॉडल बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019'' को अधिसूचित करने का प्रस्ताव दिया है।

उक्त के आलोक में पटना नगर निगम ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 के अंतर्गत" पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019'' का प्रारूप तैयार किया है और उक्त अधिनियम की धारा 422 के अधीन इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह तक पटना नगर निगम मुख्यालय (सी-ब्लॉक, मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, बुद्व मार्ग पटना) के सूचना पटल और वेबसाइट-www.pmcbihar.gov.in पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु रखा जाएगा। इस दौरान पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिक-गण उक्त उपविधि का निःशुल्क अवलोकन कर इसमें बदलाव करने के आवश्यक सुझाव दे सकते हैं। साथ ही नागरिक-गण यदि इस उपविधि की छायाप्रति (हार्ड कॉपी) प्राप्त करना चाहते है तो 02 (दो) रुपये प्रति पृष्ठ के दर से पटना नगर निगम मुख्यालय के लेखा शाखा में कोषाध्यक्ष श्री संजु कुमार (सम्पर्क सूत्र-9334203723) के पास शुल्क जमाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात इस उपविधि की प्रति पटना नगर निगम मुख्यालय के राजस्व शाखा, कार्यरत प्रभारी लिपिक, श्री शत्रुघ्न कुमार (सम्पर्क सूत्र-8825151587) से प्राप्त कर सकते हैं।

नागरिक-गण से अनुरोध है कि उपविधि से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव को एक माह तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कर सकते है।

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम